5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2018/2070

मानननीय राजस्व मण्डल मोतीमहल ग्वालियर ﴾म. प्र.﴿

﴾1﴿ दुष्यन्तसिंह पिता मोहनसिंह जी उम्र 55 साल,
राजपुत निवासी चन्द्रपुरा मंदसौर परगना व
जिला मंदसौर म. प्र.

﴾2﴿ श्रीमति कुसमदेवी पति दुष्यन्तसिंह उम्र 50 साल,
जाति राजपुत निवासी चन्द्रपुरा मंदसौर
परगना व जिला मंदसौर ----- आवेदकगण

मुकेश भार्गव
28.3.18
5.4.18

बनाम

﴾1﴿ भेरूलाल पिता लछमनजी उम्र 64 साल,
जाति बलाई निवासी चन्द्रपुरा मंदसौर
परगना व जिला मंदसौर

28.3.18

﴾2﴿ शैलेन्द्रगिरी पिता भंवरगिरी गोस्वामी उम्र 50साल,
निवासी चन्द्रपुरा मंदसौर परगना व जिला मंदसौर

﴾3﴿ बाबुलाल पिता रतनलाल परमार
निवासी चन्द्रपुरा मंदसौर .... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
28.3.18 (एडवोकेट
ग्वालियर

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50
मध्यप्रदेश भु-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय
तहसीलदार मन्दसौर के प्रकरण क्रं. 5/अ-13/2005-06
में पारित आदेश दिनांक 9. 3. 18 से परिवेदित होकर
===

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा/18/ 2070

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार मंदसौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदकपक्ष द्वारा धारा 11 एवं धारा 151 सीपीसी, धारा 8 नियम 1 एवं 151 सीपीसी तथा आदेश 6नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन इसलिये निरस्त किये है क्योंकि प्रस्तुत आवेदनों का पूर्व में निराकरण किया जा चुका है इसलिये तहसीलदार द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत समस्त आवेदनों को निरस्त करते हुये प्रकरण आवेदकगण के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	